

राजस्थान सरकार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग,
सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- 169

दिनांक:- 12-1-18

कार्यालय आदेश

प्रायः सुनवाई के दौरान यह देखने में आया है कि सम्बन्धित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों द्वारा उनके मंच में दर्ज होने वाले प्रकरणों की पत्रावलियों को सुसंगत तरीके से संधारित नहीं किया जा रहा है, उक्त पत्रावली संधारण को माननीय राज्य आयोग ने गम्भीरता से लिया है। अतः इस आदेश के जरिये अध्यक्ष, समस्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राज्य आयोग को पत्रावली प्रेषित करने से पूर्व निम्न क्रमानुसार संधारण/तैयार कर प्रेषित करावें:-

1. उपभोक्ता परिवाद पत्रावलियों (Consumer Complaints):-

पार्ट-ए

(a) परिवाद पत्र की अनुक्रमणिका (Synopsis)।

(b) परिवाद पत्र एवं उसके समर्थन में शपथ-पत्र।

नोट:- पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित परिवाद प्रपत्र मूल परिवाद से पूर्व संधारित/नत्थी किया जावें।

(c) जवाब प्रपत्र मय शपथ-पत्र।

नोट:- पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित जवाब प्रपत्र मूल जवाब से पूर्व संधारित/नत्थी किया जावें।

(d) जवाबबुल जवाब (Rejoinder) मय शपथ-पत्र।

(e) अन्तिम निर्णय की मूल प्रति।

(f) माननीय राज्य आयोग द्वारा प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश, दिनांकवार एवं पालना रिपोर्ट।

(g) साक्ष्य शपथ-पत्र परिवादी एवं अप्रार्थी का।

(h) उभय पक्षगण द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा/उपस्थिति अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ अटॉर्नी।

राजस्थान सरकार
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग,
सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर

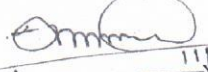
दिनांक:-

क्रमांक:-

पार्ट-बी

- (a) परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मय फर्द सूची।
- (b) अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मय फर्द सूची।
- (c) परिवादी द्वारा प्रस्तुत कोई तात्कालीक प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, दिनांकवार।
- (d) जिला मंच द्वारा पक्षकारों के सम्बन्ध में जारीशुदा तामील यथा- नोटिस, सम्मन/वारन्ट आदि मय कार्यालय रिपोर्ट।

अतः उपरोक्त दिये गये क्रमानुसार वांछित रिकॉर्ड प्रेषित किया जावें। निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करते हुये इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी या पाये जाने पर पृथक से सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।


(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय आदेश

दि. 12-1-18

क्रमांक 170

प्रायः यह देखने में आया है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर में सेवादोष से सम्बन्धित प्रस्तुत होने वाले विभिन्न श्रेणी के प्रकरणों यथा— परिवार, अपील, स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र, विविध प्रार्थना पत्र, रिविजन प्रार्थना पत्रों की पत्रावलियों को विधिवत रूप से संधारित नहीं किया जाकर सुनवाई के दौरान माननीय राज्य आयोग के समक्ष उक्त पत्रावलियाँ भिजवाई जा रही हैं।

माननीय राज्य आयोग द्वारा उक्त प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों के असंगत संधारण को गम्भीरता से लिया है। अतः निर्देशानुसार भविष्य में प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों/पूर्व में की जा रही असंगत रूप से संधारित पत्रावलियों को तारीख पेशी में भिजवाये जाने से पूर्व निम्न क्रमानुसार संधारण सुनिश्चित करें:-

1. उपभोक्ता परिवार पत्रावलियाँ (Consumer Complaints):-

पार्ट-ए

- (a) परिवार पत्र की अनुक्रमणिका (Synopsis)।
- (b) परिवार पत्र मय शपथ पत्र।
- (c) धारा 24-क उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्रार्थना पत्र व स्थगन का प्रार्थना पत्र, यदि कोई है तो उसके समर्थन में शपथ-पत्र।

नोट:- पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित परिवार प्रपत्र मूल परिवार से पूर्व संधारित/नत्थी किया जावे।

- (d) जवाब प्रपत्र मय शपथ-पत्र।

नोट:- पक्षकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित जवाब प्रपत्र मूल जवाब से पूर्व संधारित/नत्थी किया जावे।

- (e) जवाबबुल जवाब (Rejoinder) मय शपथ-पत्र।

- (f) अन्तिम निर्णय।

- (g) माननीय राज्य आयोग द्वारा प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश, दिनांकवार एवं पालना रिपोर्ट।

- (h) साक्ष्य शपथ-पत्र परिवादी एवं अप्रार्थी का।

- (i) उभय पक्षगण द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा/उपस्थिति अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ अटॉर्नी।

पार्ट-बी

- (a) परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मय फर्द सूची।
(b) अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मय फर्द सूची।
(c) परिवादी द्वारा प्रस्तुत कोई तात्कालीक प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र, दिनांकवार।
(d) माननीय राज्य आयोग द्वारा पक्षकारों के सम्बन्ध में जारीशुदा तामील यथा-नोटिस, सम्मन/वारन्ट आदि मय कार्यालय रिपोर्ट।

2. प्रथम अपील/रिविजन याचिका/विविध प्रार्थना पत्र/स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र/निष्पादन प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित पत्रावली:-

पार्ट-ए

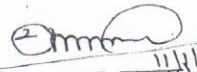
- (a) उक्त वर्णित पत्रावली की अनुक्रमणिका (Synopsis)।
(b) अपील/रिविजन/विविध/स्थानान्तरण/निष्पादन सीमों।
(c) उक्त के समर्थन में पक्षगण का शपथ-पत्र।
(d) विलम्ब प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र के, यदि प्रस्तुत है तों।
(e) स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र के।
(f) प्रमाणित प्रतिलिपि आलौच्च आदेश/निर्णय।
(g) विधिनुसार जारी अपील से सम्बन्धित वाछनीय जमा राशि की रसीद।
(h) माननीय राज्य आयोग द्वारा प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेश, दिनांकवार एवं पालना रिपोर्ट।
(i) अन्तिम निर्णय की प्रति।
(j) उभय पक्षगण द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा/उपस्थिति अधिकार पत्र/पॉवर ऑफ अटॉर्नी।

पार्ट-बी

- (a) पक्षगणों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मय फर्द सूची।
- (b) विविध प्रस्तुत होने वाले तात्कालीक प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, दिनांकवार।
- (c) माननीय राज्य आयोग द्वारा पक्षकारों के सम्बन्ध में जारीशुदा तामील यथा- नोटिस, सम्मन/वारन्ट आदि मय कार्यालय रिपोर्ट।

नोट:-

1. उपरोक्त मद संख्या-01 एवं 02 में वर्णित पत्रावलियों को बाद निर्णय आवश्यक कार्यवाही यथा- पेजिंग (Pageing)/सूचीबद्ध (Indexing) करते हुये रिकॉर्ड शाखा में प्रेषित कर प्राप्ति रसीद का रिकॉर्ड पृथक से संधारण किया जावे।
2. प्रभारी, रिकॉर्ड शाखा को भी निर्देशित किया जाता है कि रिकॉर्ड शाखा की पत्रावलियों को उक्ता क्रमानुसार ही माननीय राष्ट्रीय आयोग द्वारा चाहे जाने पर नियमानुसार प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
3. उक्त दिये गये निर्देशों की पालना अविलम्ब आगामी पेशी में भिजवाये जाने वाली पत्रावलियों के सम्बन्ध में सुनिश्चित करे तथा समय रहते शेष पत्रावलियों का उक्तानुसार ही संधारण करें।
4. अतः समस्त न्यायिक शाखा के अहलमदों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी या पाये जाने पर पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।


(राजेश चन्द्र गुप्ता)
रजिस्ट्रार,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

दि 12-1-18

क्रमांक 171/175

1. प्रभारी, न्यायिक शाखा
2. समस्त/प्रभारी रिकॉर्ड शाखा, राज्य आयोग, जयपुर।
3. प्रभारी, प्रस्तुतीकरण शाखा को निर्देशित किया जाता है कि राज्य आयोग में प्रस्तुत होने वाले विभिन्न श्रेणी के प्रकरणों की पत्रावलियों को प्रारम्भिक तौर पर उपरोक्तानुसार जाँच यथा- क्षेत्राधिकार, वांछनीय शुल्क, विलम्ब की अवधि, दायर होने वाले वाद के सेट एवं प्रस्तुत होने वाली अनुक्रमणिका के अनुसार ही वांछित दस्तावेज प्राप्त कर
4. कम्प्यूटर शाखा
5. शिक्षित पत्रावली

ही कम्प्यूटर में आवश्यक संख्या के साथ ही दर्ज की जावें। प्रारम्भिक तौर पर ही इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

क्रमांक:-

दिनांक:-